राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6(19)राज-6/99/4 जयपुर, दिनांक:-13-4-2000

-: परिपत्र :-

विषय:- आबादी हेतु भूमियों का नियमन बाबत् ।

विभागीय परिपत्र क्रमांक प.6(10)राज-4/77 दिनांक 23.4.77 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक, चारागाह, वनभूमि, गैर मुमकिन तथा आबादी भूमि पर 1.7.75 तक आवास गृह या बाडे बनाकर किये गये ~~सभी~~ अतिक्रमणों को नियमन करने के आदेश दिये गये थे ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/95 टी0 एन0 गोडावरमन तिरुमुल्कपड बनाम यू0ओ0आई0 एण्ड अदरस् में पारित निर्णय दिनांक 12.12.96 में यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम में निहित भूमि का अन्य उपयोग अधिनियम एवं नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात ही किया जा सकता है । नियमन के लिए भी उक्त प्रावधानों की पालना आवश्यक है ।

अत: उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र दिनांक 23.4.77 में निहित वन भूमि पर वन उपयोग में आ रही वन भूमि का अन्य उपयोग या नियमन केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की प्रक्रिया की पालना करते हुए ही किया जावे अन्यथा ऐसी भूमियों का नियमन नहीं किया जावे ।

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

13/4/2000
शासन उप सचिव

मनोज/